(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 17/2023-State Tax (Rate)

Dated: 30/09/2025

No. F.3 (32)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 971 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 01/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I – 2.5%, -

(i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"92A.	1703	Molasses";

(ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"96A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled";

(B) in Schedule III – 9%,

(i) against S. No. 13, in column (3), for the words and figures "of heading 1905", the words and figures "of heading 1905; food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled " shall be substituted;

SC(P&P)

06/10/25

(ii) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"25A.	2207 10 12	Spirits for industrial use";

(C) in Schedule IV – 14%, S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

Note: -The principal notification number 01/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated 30th June, 2017 and was last amended vide notification number 11/2023-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (12)/Fin(Exp-I)/2025-26/DS-I/596, dated 30th June, 2025.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Mangej Singh)
Dy. Secretary (Fin.)

No. F.3 (32)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 971 **Dated: 30/09/2025**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Mangej Singh)
Dy. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 17/2023–राज्य कर (दर)

दिनांक :30/09/2025

फा0सं0 3(32)/वित्त(व्यय–I)/2025–26/डीएस–I/971 – दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1) तथा धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की अनुशंसा पर, एतद् द्वारा दिनांक 30 जून 2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राजस्व–1)/2017–18/डीएस–VI/382 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV,धारा 3, उप–धारा (i) में प्रकाशित सरकार की अधिसूचना सं0 01/2017– राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात : –

उक्त अधिसूचना में–

(क) अनुसूची I में –2.5% -

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)
"92क	1703	मेलासेस";

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)
"96क.	1901	अन्न के आटे का खाद्य निर्माण, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और लेबल किए गए हो";

(ख) अनुसूची III में – 9%,

(i) क्रम संख्या 13 के सामने, कॉलम (3) में, "शीर्षक 1905" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्षक 1905; अन्न के आटे का खाद्य निर्माण, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)
"25क	2207 1012	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट";

(ग) अनुसूची IV – 14% में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

टीप : मूल अधिसूचना सं0 01/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को फा0 सं0 3(15)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/382 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग–IV, धारा 3, उप–धारा (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2023 – राज्य कर (दर) के द्वारा संशोधित की गई थी जो दिनांक 30 जून, 2025 को फा0 सं0 3(12)/वित्त (व्यय–I)/2025–26/डीएस–I/596 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग–IV, धारा 3, उप–धारा (i) में प्रकाशित की गई ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मंगेज सिंह

(मंगेज सिंह)
उप सचिव (वित्त)

फा0 सं0 3(32)/वित्त (व्यय–I)/2025–26/डीएस–I/971 दिनांक :30/09/2025

प्रतिलिपि निम्न सूचना हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5. एस0ओ0, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव (सा0प्रशा0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग–IV (असाधारण) में अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु अनुरोध सहित।
8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेबसाइट।
12. गार्ड फाइल

मंगेज सिंह

(मंगेज सिंह)
उप सचिव (वित्त)